3645
04/05/2016

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
:: *संकल्प* ::

कृपया पढ़े :–

1. उपायुक्त, गोड्डा का पत्रांक–1038, दिनांक 02.08.2014 एवं पत्रांक–671, दिनांक 27.05.2015
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–9084, दिनांक 09.09.2014, पत्रांक–10763, दिनांक 10.11.2014 एवं संकल्प सं0–10248, दिनांक 04.12.2015

श्री शफीक आलम, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला– दुमका), तत्तकालीन प्र0वि0पदा0, ठाकुरगंगटी, गोड्डा के विरूद्ध उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक–1038, दिनांक 02.08.2014 द्वारा प्रपत्र– 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया।

प्रपत्र– 'क' के अनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा के आदेश सं0–68/2013, दिनांक 25.09.2013 के द्वारा श्री प्रमोद कुमार झा, सेवानिवृत्त, ग्रामीण प्रसार कार्यकर्त्ता, ठाकुरगंगटी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र– 'क' गठित कर निदेशक, लेखा प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा को संचालन पदाधिकारी तथा प्र0वि0पदा0, ठाकुरगंगटी श्री आलम को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

परन्तु जानबूझकर इनके द्वारा श्री प्रमोद कुमार झा, ग्रामीण प्रसार कार्यकर्त्ता, ठाकुरगंगटी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में प्रतिकूल कार्य किया गया तथा श्री झा आरोप मुक्त हो गये और बिना साक्ष्य के श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही समाप्त हो गयी। श्री आलम द्वारा षडयंत्र के तहत् सरकारी राशि के दुर्विनियोग हेतु श्री प्रमोद कुमार झा, ग्रामीण प्रसार कार्यकर्त्ता, ठाकुरगंगटी को सहयोग किया गया।

उक्त आरोपों के लिए श्री आलम से विभागीय पत्रांक–9084, दिनांक 09.09.2014 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्रांक–648/वि0, दिनांक 08.10.2014 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री आलम द्वारा अपने स्पष्टीकरण में आरोपों को अस्वीकार किया गया है।

विभागीय पत्रांक–10763, दिनांक 10.11.2014 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा से श्री आलम के स्पष्टीकरण पर मंतव्य की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक–671, दिनांक 27.05.2015 द्वारा आरोपवार मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री आलम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान तथा उपायुक्त, गोड्डा के मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया है कि संचालित विभागीय कार्यवाही में उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में श्री आलम केवल दिनांक 06.02.2014 को उपस्थित हुए। इनके द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही तथा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की गयी है।

श्री आलम की सेवा भूलवश असंपुष्ट प्रतिवेदित हो जाने के कारण उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं0–10248, दिनांक 04.12.2015 द्वारा इनकी सेवा–सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अर्हता प्राप्त करने की तिथि को एक वर्ष के लिए बढ़ाये जाने का दण्ड दिया गया है।

श्री आलम को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0–2013, दिनांक 02.03.2015 द्वारा दिनांक 30.07.2013 के प्रभाव से सम्पुष्ट किया गया है।

अतः इनके विरूद्ध पूर्व में संकल्प सं0–10248, दिनांक 04.12.2015 द्वारा अधिरोपित दण्ड सेवा–सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अर्हता प्राप्त करने की तिथि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, को संशोधित करते हुए इसके स्थान पर इनकी **एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री शफीक आलम, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

5.5.16

(दिलीप तिर्की)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5 / आरोप–1–679 / 2014 का०–3645 / राँची, दिनांक 04 मई, 2016

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय, गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

5.5.16

सरकार के उप सचिव।